न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
148/17	25.10.2017	09.02.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

1. हितेन्दर पुत्र धर्मेन्द्र नाबालिग जरिये वली माता संजू शर्मा
2. संजू शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण –

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र मुकुट बिहारी
2. मुकुट बिहारी पुत्र कन्हैयालाल
3. जितेन्द्र पुत्र मुकुट बिहारी जाति ब्राह्मण निवासीगण डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण –

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री कौशल किशोर वैष्णव :– वकील वादीगण/प्रतिपक्षीगण
2. श्री बलराम शर्मा:– वकील प्रतिवादी/प्रार्थी नं0 2 व 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर से जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा अनावश्यक रूप से वाद पेश किया गया है, जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई भी हक अधिकार व हिस्सा निहित नहीं है, यहा यह लिखना भी आवश्यक है कि उक्त आराजी पुश्तेनी आराजी है तथा वादीगण मुकुट बिहारी के पोता–पोती है, जिनका कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। सम्माननीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुश्तेनी आराजी में पोता–पोती का हिस्सा होनें से स्पष्ट इन्कार करते हुए अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, इस कारण से वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक व अधिकार ही नहीं बनता है, तो वादीगण को हिस्से देनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हे, ऐसे में वादीगण को वाद लानें का कोई भी राइट नहीं बनता है, इस कारण से वादीगण का वाद चलनें योग्य नहीं है और खारिज किये जानें योग्य है। वादीगण द्वारा मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करनें के आशय से वादीगण का पुश्तेनी वादग्रस्त आराजी

में कोई हिस्सा व अधिकार नहीं होनें के बावजूद भी वाद दायर किया, जो प्रॉपर पक्षकार न होनें के कारण वाद रेसजुडिकेटा के आधार पर खारिज किये जानें योग्य है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण नें निवेदन किया है कि वादीगण का वाद उपरोक्त कारणों से खारिज/निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादीगण/प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं0 2 व 3 अस्वीकार कर कथन किये कि विवादित आराजी प्रार्थी के दादा एवं परदादा के खातेदारी में चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। वादी को वाद लानें का अधिकार बनता है, क्योकि वादी अगर वाद नहीं लाएगा तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि खुर्द बुर्द एवं बैचान कर देंगे। जिससे वादीगण का हित व हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। प्रार्थीगण द्वारा नाजायज परेशान करनें की वजह से कोई वाद पेश नहीं किया गया है। वादीगण का हित व हिस्सा प्रभावित होनें की वजह से वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 प्रॉपर पक्षकार है। वाद रेस्जुडिकेटा के अन्तर्गत नहीं आता क्योकि उपरोक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण भिन्न–भिन्न है।

जवाब पेश कर वादीगण/प्रतिपक्षीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को न्यायिक हित प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 05.10.2017 को इसी न्यायालय के निर्णय अनुसार वादी के पिता, चाचा व दादा का 1/3–1/3 हिस्सा मानते हुए दावा डिक्री किया गया था। पुश्तेनी सम्पत्ति में जब तक रिकॉर्डेड खातेदार जीवित है तब तक अन्य के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा पुत्रवधु का ससुर की सम्पत्तियों में कोई अधिकार नहीं है। ना तो आरटीएक्ट में और ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र एवं अपनें कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थीगण द्वारा RRT 2009 (1) Page No. 162, RRT 2016 (1) Page No. 364, DNJ (SC) 2016 Page No. 258 प्रस्तुत किये।

विद्वान वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने बहस में कथन किये कि वर्तमान में विवादित आराजी मुकुट बिहारी की खातेदारी में दर्ज है तथा मुकुट बिहारी के दो पुत्र धर्मेन्द्र एवं जितेन्द्र है और वादीगण हितेन्द्र धर्मेन्द्र का पुत्र व संजू धर्मेन्द्र की पत्नी है। विवादित आराजी पुश्तेनी आराजी है तथा दावा दादा के विरूद्ध किया गया है। यदि विवादित आराजी का बैचान कर दिया जाता है तो हमारें अधिकार प्रभावित होना तय है। विवादित आराजी पुश्तेनी है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है, जो वाद में समुचित साक्ष्योपरान्त ही संभव है। हमारें द्वारा प्रस्तुत दावा रेसजुडिकेटा से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस रिपीटल में विद्वान अधिवक्ता ने कथन किये कि पिता–पुत्र नें दुरभि संधि कर दावा प्रस्तुत किया है, यदि कोई नाबालिग है और पिता जीवित है तो माता को वली क्यो बनाया है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि का विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में सम्यक चिंतन मनन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित कथनों से स्पष्ट प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वॉच्छित अनुतोष हेतु विवादित आराजी का पुश्तेनी होनें का आलम्बन व आश्रय लिया गया है। साथ ही वादीगण का कथन यह भी है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से हिस्सा निहित हो गया है। इस बाबत सम्यक विचार के उपरान्त हम यह पाते है, कि विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी में दर्ज है, जो वादी नं0 1 के दादा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी सं0 2071–74 खाता सं0 166 वाके ग्राम डूंगरज्या एवं जमाबंदी सं0 2072–75 खाता सं0 33 वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित आराजी पुश्तेनी आराजी है। विवादित आराजी के पुश्तेनी होनें बाबत् वादीगण द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वादी नं0 1 प्रतिवादी नं0 1 का पुत्र व वादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 2 की पत्नी है, जबकि प्रतिवादी नं0 1 का विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वत्व ही

प्रमाणित नहीं है, जिससे वादीगण को वांछित अनुतोष दिया जाना भी संभव प्रतीत नहीं होता है। विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन करनें के उपरान्त यह तथ्य प्रकट होता है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार तो प्रमाणित है किन्तु उक्त हिस्सा वर्तमान में भौतिक रूप से प्रमाणित नहीं है। वैसे भी पिता के जीवित होते हुए नाबालिग पौत्र को दादा की सम्पत्ति में स्वत्व प्रदान किया जाना न्याय संगत नहीं लगता है।

इस प्रकार यह तय है कि वादीगण को मात्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों अनुसार अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है और प्रकरण में ऐसी कोई विकट स्थिति भी प्रकट नहीं है कि वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाना अतिआवश्यक हो।

वादीगण के वादपत्र , वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि के सम्यक अनुशीलन तथा प्रकरण के गुणावगुण पर समुचित मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण** (प्रतिवादी 2 ता 3) **द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है।** वाद वादीगण खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मि0नं0 148/2017 में संलग्न की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 09/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद